

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जून 2013—ज्येष्ठ 13, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

क्र. एफ-1-14-2010-1-उनसठ.—राज्य शासन, एतद्वारा स्वशासी शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भरती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त नियम में—

1. नियम 11 के उपनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है,—
(1) सेवा में सीधी भरती के लिये चयन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा.
2. नियम 11 के उपनियम (2) को विलोपित किया जाता है.
3. अनुसूची—तीन में दिये गये फुटनोट 1, 2, 3 एवं 4 को विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.